उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ

(अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ से सम्बद्ध)

उत्तराखण्ड प्रदेश के समस्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघों का एकीकृत संगठन

मान्यता संख्या- 797/ग्गग्(2)2006 दि. 27 मार्च, 2006

दिनांक 11.04.2022 तक संशोधित

(इं0 मुकेश रतुड़ी)
महासचिव

(इं0 एस0एस0 चैहान)
प्रान्तीय अध्यक्ष

1- **उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ**

2- **आचार संहिता**

3- **प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में महासंघ के मूल उद्देश्यों को चरितार्थ करते हुए आचरण करेगा।**

4- **राष्ट्रहित में प्रत्येक सदस्य महासंघ के माध्यम से भ्रष्टाचार उन्मूलन का यथासम्भव प्रयत्न करेगा तथा अपने आचरण का आदर्श प्रस्तुत करेगा।**

5- **प्रत्येक सदस्य, महासंघ के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ बन्धुओं से सम्मानपूर्वक तथा अपने से कनिष्ठ साथियों से स्नेह पूर्ण व्यवहार करेगा।**

6- **प्रत्येक सदस्य किसी भी रूप में दूसरे सदस्य की प्रतिष्ठा को अनैतिक रूप से क्षति या हानि नही पहुंचायेगा।**

7- **कोई भी सदस्य ऐसे अभियन्ता के कार्य में सहयोग नहीं देगा जो आचार संहिता को मान्यता न देता हो।**

8- **कोई भी सदस्य अपने सेवा कार्यो के लिये कोई अनुचित लाभ ग्रहण नही करेगा।**

9- **प्रत्येक सदस्य कार्यो में गुणवत्ता, अभियांत्रिक मर्यादाओं, मानदण्डों एवं मितव्ययता बनाये रखने का पूर्ण प्रयास करेगा।**

10- **प्रत्येक सदस्य जनहित एवं राष्ट्रहित में महासंघ को सभी राष्ट्र विरोधी एवं अहितकर कार्यो की त्वरित सूचना देगा।**

11- **प्रत्येक सदस्य किसी भी दूसरे सदस्य की पद स्थापना को अपने हित में समाप्त/निरस्त कराने का प्रयत्न नहीं करेगा।**

12- **प्रत्येक सदस्य, महासंघ के समस्त नियमों, विनियमों, प्रस्तावों एवं निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगा।**

13- **प्रत्येक सदस्य अपने कार्यो एवं कठिनाइयों सम्बन्धी अनुभवों को अन्य सदस्यों को महासंघ के माध्यम से अवगत करायेगा।**

14- **प्रत्येक सदस्य, विशेष परिस्थितियों को छोडकर (शाखा) सचिव के माध्यम से ही केन्द्रीय कार्यालय से अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख करते हुए पत्र व्यवहार करेगा।**

15- **प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण की सूचना शीघ्रताशीघ्र सम्बन्धित (शाखा) सचिव को देगा।**

16- **प्रत्येक सदस्य आचार सं◌िहता के अनुकूल कार्य करेगा।**

17- **कोई भी सदस्य, यदि दूसरे सदस्य को गलत अथवा आचार संहिता के प्रतिकूल कार्य करते हुए देखता है, तो वह उचित कार्यवाही हेतु महासंघ को सूचित करेगा।**

18-

19-

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ

(अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ से सम्बद्ध)

उत्तराखण्ड प्रदेश के समस्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघों का एकीकृत संगठन

मान्यता संख्या- 797/ग्ग्ग्(2)2006 दि. 27 मार्च, 2006

दिनांक 11.04.2022 तक संशोधित

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ

धारा 1.00: नाम:

इस संगठन का नाम ”उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ“ होगा, जिसको संक्षिप्त में ”उ.डि.इं. महासंघ” भी लिखा जा सकता है।

धारा 1.02: संविधान सहित सभी अभिलेखों में संगठन के स्थान पर ‘महासंघ’ तथा केन्द्रीय के स्थान पर ‘प्रान्तीय’ पढ़ा जाए।

धारा 2.00: मुख्यालय:

धारा 2.01: महासंघ का मुख्यालय उत्तराखण्ड की राजधानी में होगा।

धारा 2.02: अध्यक्ष/महासचिव का मुख्यालय प्रदेश की राजधानी में होगा तथा प्रान्तीय अध्यक्ष व महासचिव अकार्यकारी रहेंगे।

धारा 2.02(क):महासंघ के संविधान की उक्त धारा के अनुसार प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महासचिव का पद अकार्यकारी है जिसका कड़ाई से पालन किया जायेगा।

धारा 2.03ः प्रान्तीय वित्त सचिव का मुख्यालय, महासंघ के मुख्यालय देहरादून में होगा।

धारा 3.00ः परिभाषायें

धारा 3.01: महासंघ का तात्पर्य “उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ“ से है।

धारा 3.02: जिला या जनपद का तात्पर्य उत्तराखण्ड के अंतर्गत पड़ने वाले राजस्व जनपदों से है।

धारा 3.03: जिला शाखा का तात्पर्य महासंघ की जिला शाखा से है, जो उपरोक्त धारा 3.02 में वर्णित जिलों में गठित है/होगी।

धारा 3.04: इकाई या इकाई शाखा का तात्पर्य जिले के अन्तर्गत गठित उन इकाईयों से है, जिन्हें महासंघ की कार्यकारिणी द्वारा मान्यता दी गयी हो।

धारा 3.05: सदस्य का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अभियांत्रिकी में डिप्लोमा वाले पद पर नियुक्त/प्रोन्नत किया गया हो तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित डिप्लोमा इंजीनियर हो।

धारा 3.06: घटक संघ का तात्पर्य उत्तराखण्ड प्रदेश स्तरीय अभियान्त्रिकी डिप्लोमा की अर्हता वाले संघ से होगा।

धारा 3.07: वर्ष का तात्पर्य 1 जनवरी से 31 दिसम्बर की अवधि से है।

धारा 3.08: प्रमाणित सदस्य का आशय उस सदस्य से है जिसके उपर किसी प्रकार का

संगठन का अभिदान अवशेष न हो। वार्षिक अभिदान धारा 3.07 के अनुरूप कार्यकारिणी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

धारा 4.00: उद्देश्य - महासंघ के निम्न उद्देश्य होंगे।

धारा 4.01: सदस्यों को प्रदेश स्तर पर संगठित कर वैचारिक आदान-प्रदान करना।

धारा 4.02: उत्तराखण्ड में कार्यरत महासंघ के सदस्यों की सेवा सम्बन्धी परिवेदनाओं व समस्याओं के समाधान हेतु शासन/विभाग के समक्ष प्रतिवेदित करना।

धारा 4.03: सदस्यों की व्यथा तथा उनके ऊपर हुये अन्यायों के निवारणार्थ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

धारा 4.04: सदस्यों में अभियांत्रिक, व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय विकास उन्मुख दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली विकसित करना, एतदर्थ ज्ञानवर्धक व क्रियात्मक साधन सुलभ कराना।

धारा 4.05: सदस्यों में एकता, सौहार्द, सद्भावना, सहयोग, सहभागिता एवं भ्रातृत्व की भावना को मुखरित, सम्पोषित तथा विकसित करना।

धारा 4.06: सेवाओं में जन अभिमुखता, समाज के सर्वांगीण हित को बढ़ावा देना, उपलब्ध धन व अन्य संसाधनों का दुरूपयोग रोकते हुए, स्वस्थ परम्पराओं का सृजन व पोषण करना।

धारा 4.07: अभियान्त्रिक कार्यो में गुणवत्ता, मितव्ययता एवं जन कल्याणकारी भावनाओं को मूर्त रूप देना।

धारा 4.08: सदस्यों को सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं मानवीय दायित्वों के लिए सुचारू संवहन हेतु पे्ररित करना तथा तद्नुकूल वातावरण का सृजन व सम्पोषण करना।

धारा 4.09: अभियान्त्रिक डिप्लोमा में अध्ययनरत, अभियान्त्रिक डिप्लोमा धारक बेरोजगारों एवं सेवा निवृत्त सदस्यों के संगत हितों की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करना।

धारा 4.10: संगठन पूर्णतः अराजनैतिक एवं सम्प्रदाय विहीन भावना से संचालित किया जायेगा।

धारा 5.00: सदस्यता

धारा 5.01: उत्तराखण्ड में कार्यरत अभियांत्रिकी डिप्लोमाधारी एवं शासन द्वारा मान्य समकक्ष अर्हता वाले व्यक्ति, जिनको उत्तराखण्ड राज्य हेतु आवंटित/नियुक्त किया गया हो, निर्धारित घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने के उपरान्त केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं वार्षिक अभिदान देने के बाद सदस्य बन सकेंगे। प्राथमिक सदस्यता शुल्क केवल एक बार लिया जायेगा जो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

धारा 5.02: प्रदेश स्तर के घटक संघों के प्रमाणिक सदस्य ही महासंघ के सदस्य बन सकेंगे। अन्य विभागों/परिषदों/निगमों/प्रतिष्ठानों में घटक संघों का गठन न होने तक, उनमें कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर धारा 3.05 एवं 5.01 की औपचारिकताएं पूर्ण करने पर महासंघ के सदस्य बन सकेगें।

धारा 5.03: सदस्यता शुल्क एवं वार्षिक अभिदान की प्राप्ति रसीद प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

धारा 5.04: वर्ष के मध्य किसी भी तिथि को प्रदेश सरकार की सेवा छोड़ देने/छूट जाने पर सदस्य द्वारा जमा वार्षिक अभिदान का कोई अंश वापस नही किया जायेगा, इसी प्रकार किसी भी तिथि को वार्षिक अभिदान आंशिक रूप में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

धारा 6.00: सदस्यतावसान (पद/सदस्यता की समाप्ति):

संगठन की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त होगी:

धारा 6.01: महासंघ को प्रेषित लिखित त्यागपत्र स्वीकृत होने पर।

धारा 6.02: सदस्य की मृत्यु हो जाने, पागल हो जाने अथवा सदस्यता के अयोग्य हो जाने पर ।

धारा 6.03: चारित्रिक आरोप में दण्डित होना, नैतिक पतन का दोष सिद्ध होना, अपराधी होना या गबन/भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने पर।

धारा 6.04: निरन्तर तीन वर्षो तक वार्षिक अभिदान न देने पर।

धारा 6.05: शोधाक्षम अधिनिर्णीत (दिवालिया) घोषित होने पर।

धारा 6.06: किसी भी सदस्य को आचार संहिता के प्रतिकूल आचरण करने, महासंघ की गोपनीयता समाप्त करने अथवा महासंघ विरोधी कार्य करने पर अध्यक्ष द्वारा महासंघ की सदस्यता से निलम्बित किया जा सकता है, परन्तु उसे महासंघ से निष्कासित करने का अधिकार एतदर्थ आहूत महासंघ कार्यकारिणी में उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई संख्या को होगा, इससे पूर्व आरोपित सदस्य अपना पक्ष प्रस्तुत नही करता है तो कार्यकारिणी को उपलब्ध अभिलेखों व साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष व संरक्षक पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

धारा 6.07: विभाग से सामान्य सेवानिवृत होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

धारा 7.00: सदस्यों के कर्तव्य और अधिकार:

धारा 7.01: प्रत्येक सदस्य महासंघ की आचार संहिता के निष्ठापूर्वक पूर्ण परिपालन हेतु बाध्य होगा।

धारा 7.02: सभी प्रमाणिक सदस्यों को (जिन्होंने सदस्यता शुल्क एवं वार्षिक अभिदान जमा कर दिया हो) महासंघ की सामान्य (वृहद) सभाओं में भाग लेने, विचार विनिमय व मतदान करने का अधिकार होगा।

धारा 7.03: महासंघ द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका/परिपत्र/स्मारिका में प्रत्येक सदस्य को साहित्यिक, समाजिक एवं अभियांत्रिकी सम्बन्धी लेख छपवाने का अधिकार होगा। महासंघ हित में प्रकाशनार्थ प्राप्त लेखों में संशोधन का अधिकार प्रकाशन सचिव अथवा एतदर्थ गठित सम्पादक मण्डल को होगा

धारा 7.04: प्रत्येक सदस्य को सेवारत एवं व्यवसायिक समस्याओं का समाधान/विवरणार्थ, महासंघ से परामर्श अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

धारा 7.05: आचार संहिता का उल्लंघन करने, क्षेत्र व क्षेत्रीय जनता तथा राष्ट्र/जनहित विरोधी कार्य करने वाले किसी भी सदस्य या पदाधिकारी के विरूद्ध उचित प्रमाण सहित, महासंघ के केन्द्रीय कार्यालय का सूचित करना प्रत्येक सदस्य का दायित्व होगा।

धारा 8.00: महासंघ का प्रबन्धन:

महासंघ वृहद सभा एवं उल्लिखित समितियों द्वारा संचालित होगा। इसके पदाधिकारियों का निर्वाचन एवं समितियों को प्रदत्त अधिकार व कार्य दायित्व निम्नवत् होगें-

धारा 8.01: वृहद सभा एवं (सामान्य सभा): जिसका गठन इस प्रकार होगा।

धारा 8.02: यह महासंघ के समस्त सदस्यों द्वारा गठित होगी।

धारा 8.03: प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा।

धारा 8.04: वृहद सभा के सामान्य/महाधिवेशन हेतु गणपूर्ति (कोरम) 20 प्रतिशत तथा आपात बैठकों में 15 प्रतिशत होगा।

धारा 8.05: सामान्य/महाधिवेशन दो वर्ष में कार्यकारिणी द्वारा तय किये गये कार्यक्षेत्र के किसी जनपद/शाखा मुख्यालय में आयोजित किया जायेगा।

धारा 8.06: वृहद अथवा सामान्य/महाधिवेशन को आयोजित करने हेतु एक माह, तथा आपात सभा आयोजन हेतु 15 दिन को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

धारा 8.07: आपात सभा को विशेष विचार विषय पर निर्णय लेने, जिसमें प्रान्तीय अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर, अवशिष्ट अवधि हेतु नये अध्यक्ष के चुनाव करने का अधिकार होगा, परन्तु अध्यक्ष के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे सदस्य की सदस्यता समाप्ति का अधिकार वृहद सभा के सामान्य अधिवेशन में ही सन्निहित होगा।

धारा 8.08: महासंघ की सर्वोच्च नीति नियामक होने के कारण, वृहद सभा को कार्यप्रणाली में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होगा।

धारा 8.09: वृहद सभा महाअधिवेशन में निम्न विषयों पर निर्णय लेगी:-

(क) आगामी 2 वर्षो के आय-व्ययक (बजट) की स्वीकृति।

(ख) गत 2 वर्षो के आय-व्यय प्रतिवेदन व तुलन-पत्र की स्वीकृति व पुष्टि तथा निधि को प्रवर्तित, संचालित एवं व्यय करना।

(ग) महासंघ के संविधान संशोधन हेतु कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित प्रारूप। इसे उपस्थित सदस्यों में बहुमत से पारित किया जा सकेगा।

(घ) प्रान्तीय कार्यकारिणी का गठन:- कार्यकारिणी के निर्वाचन/गठन से पूर्व उपस्थित सदन की सहमति से अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु, निर्वाचन अधिकारी का चयन किया जायेगा जो सामान्यतः महासंघ का सदस्य नहीं होगा। निर्वाचन अधिकारी इस कार्य में सहायता हेतु अधिकतम 2 सहायकों को तैनात कर सकते हैं, जो सामान्यतः महासंघ के सदस्य न हों। निर्वाचन अधिकारी को मात्र संविधान के अन्तर्गत ही निर्वाचन कार्य कराने का अधिकार होगा।

(ङ) महासंघ व सदस्यों के हित से सम्बन्धित नीति निर्धारण, प्रतिवेदन, अभ्यावेदन, ज्ञापन एवं तत्सम्बन्धी अन्य प्रश्नों/विषयों पर विचार।

धारा 8.10: प्रान्तीय कार्यकारिणी: कार्यकारिणी में निम्न सदस्य होंगे।

(क) वृहद सभा द्वारा निर्वाचित:

अध्यक्ष - 01 पद

वरिष्ठ उपाध्यक्ष - 01 पद

उपाध्यक्ष - 01 पद

महासचिव - 01 पद

प्रचार एवं प्रकाशन सचिव - 01 पद

सचिव प्रोन्नत - 01 पद (कनिष्ठ अभियन्ता के प्रोन्नत वर्ग से)

लेखा परीक्षक - 01 पद

संगठन सचिव - 02 पद (गढ़वाल तथा कुमायंू मण्डल)

(ख) निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत:

संरक्षक - 01 पद

वित्त सचिव - 01 पद

(ग) अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से मनोनीत:

कार्यकारिणी सदस्य - 10 पद (निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित) (जिसमें मुख्यालय वाले एक सदस्य को संयुक्त सचिव का दायित्व सौंपा जायेगा)

अतिरिक्त महासचिव - 01 पद

(घ) पदेन सदस्य:

उ.ख.डि.इं. महासंघ के निवर्तमान प्रा0 अध्यक्ष व महासचिव कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

उत्तराखण्ड प्रदेश स्तरीय घटक संघों के प्रान्तीय अध्यक्ष व महासचिव उ.ख.डि.इं. महासंघ की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

मण्डल अध्यक्ष एवं मंडल सचिव कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

धारा 8.11 में मनोनीत सदस्य भी कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

महासंघ/संगठन के संस्थापक अध्यक्ष व महासचिव प्रमाणिक सदस्य रहते हुए महासघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

संघर्ष समिति:

चेयर मैन - 01 पद

वायस चेयर मैन - 01 पद

परशुएसन समिति:

चेयर मैन - 01 पद

वायस चेयन मैन - 01 पद

अनुशासन समिति:

चेयर मैन - 01 पद

वायस चेयन मैन - 01 पद

(ड़) वृहद कार्यकारिणी - विशेष परिस्थितियों में प्रान्तीय अध्यक्ष, महासचिव के परामर्श से वृहद कार्यकारिणी आहूत करने के लिए अधिकृत होंगे। वृहद्

कार्यकारिणी में प्रान्तीय कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त समस्त जनपद अध्यक्ष/सचिव भी सदस्य होंगे।

धारा 8.11: परिवार कल्याण समिति: इस समिति में निम्न सदस्य होंगे।

अध्यक्ष - 01 पदेन (महासचिव)

उपाध्यक्ष - 01 पदेन (अतिरिक्त महासचिव)

सचिव - 01 पदेन (कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत)

वित्त सचिव - 01 पदेन (कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत)

लेखा परीक्षक - 01 पदेन (प्रान्तीय कार्यकारिणी का लेखा परीक्षक)

धारा 8.12: कार्यकारिणी गणपूर्ति के लिए पदाधिकारियों की कुल संख्या का 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक उपस्थित होना आवश्यक है।

धारा 8.13: प्रान्तीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उसकी भी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक का सभापतित्व करेंगे।

धारा 8.14: कार्यकारिणी बैठक, वर्ष में 3 बार, कम से कम, 15 दिन की पूर्व सूचना पर आयोजित होगी, विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन बैठक केवल 3 दिन की पूर्व सूचना पर अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जा सकती है।

धारा 8.15: कार्यकारिणी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह संगठन की ओर से समस्त नीति निर्धारण, प्रतिवेदन, अभ्यावेदन, ज्ञापन एवं मांग पत्र तथा किसी भी नियम-संविधान संशोधन का प्रारूप बनाये तथा इसे सदस्यों की राय जानने के लिए यथाविधि परिचारित कर, सामान्य अधिवेशन में सम्बन्धित बिन्दुओं को अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का भी उसका पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

धारा 8.16: कार्यकारिणी को संगठन व सदस्यों के हित में, क्षेत्र, राज्य अथवा राज्यों के किसी संगठन या संगठनों के तालमेल कर, अथवा मिलकर कार्य करने का अधिकार होगा।

धारा 8.17: कार्यकारिणी समिति को विभिन्न उद्देश्यों व कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु उप-समितियां गठित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

धारा 8.18: बिना उचित कारण बताये लगातार तीन बैठकों में उनुपस्थित रहने वाले निर्वाचित एवं मनोनित कार्यकारिणी सदस्यों का पद भार स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। अवशिष्ट अवधि के लिए कार्यकारिणी ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति मनोनयन के द्‌वारा कर सकेगी। प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव द्‌वारा किये गये मनोनयन को पुष्ट/निरस्त करने का कार्यकारिणी को पूर्ण अधिकार होगा।

धारा 9.00: उच्चाधिकार समिति।

धारा 9.01: इस समिति को प्रत्येक महाधिवेशन उपरान्त निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी द्‌वारा संरचित किया जायेगा जो विशेष परिस्थितियों में ही कार्य करेंगी।

धारा 9.02: इस समिति में अध्यक्ष एवं महासचिव के अलावा कार्यकारिणी के 7 अन्य सदस्य होंगे। इसकी कुल सदस्य संख्या 9 होगी। 7 सदस्यों का मनोनयन कार्यकारिणी द्‌वारा किया जायेगा।

धारा 9.03: यह समिति शासन, विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों के समक्ष निर्णय हेतु विचाराधीन विषयों का संचालन करेगी तथा समय-समय पर कार्यकारिणी को प्रगति से अवगत करायेगी।

धारा 9.04: यह समिति कार्यकारिणी की ओर से महासंघ द्‌वारा पारित प्रस्तावों पर निर्णय कराने हेतु बैठक, सम्पर्क, वार्ता, मंत्रणा एवं अन्य प्रयास करेगी।

धारा 9.05: उच्चाधिकार समिति की बैठक हेतु गणपूर्ति 50 प्रतिशत होना तथा बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक होगा, विशेष एवं आकस्मिक स्थितियों में बैठक तत्काल भी बुलाई जा सकेगी।

धारा 10.00: पदाधिकारियों का निर्वाचन-

धारा 10.01: प्रान्तीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का निर्वाचन हर दो वर्ष में आयोजित होने वाले महाधिवेशन में प्रमाणिक सदस्यों में से एक सदस्य एक मत के आधार पर होगा।

धारा 10.01 (क): महासंघ के प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महासचिव के पद हेतु नामांकन के लिए वही प्रमाणिक सदस्य पात्र होगा जो कम से कम प्रान्तीय कार्यकारिणी में संवैधानिक दायित्वों के अन्त्रगत एक पूर्ण कार्यकाल पदाधिकारी रहा हो।

धारा 10.01 (ख): मण्डल अध्यक्ष व मण्डल सचिव के पद हेतु नामांकन के लिए प्रमाणिक सदस्य की पात्रता कम से कम एक कार्यकाल में जनपद अथवा शाखा का पदाधिकारी होना आवश्यक होगा।

धारा 10.01 (ग): महासंघ के किसी भी पद पर एक सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक पद धारण हेतु पात्र नहीं होगा।

धारा 10.01 (घ): महासंघ के किसी भी पद पर निर्वाचन हेतु नामंकन करने वाले सदस्य को महासंघ की परिवार कल्याण योजना के सदस्य के रूप में नामांकित होना अनिवार्य होगा।

धारा 10.02: निर्वाचन का आधार, उपस्थित सदस्यों का बहुमय होगा। बराबर-बराबर मत पाने की दशा में लँाटरी द्वारा निर्णय होगा।

धारा 10.03: सदस्य का नामांकन तथा निर्वाचन किसी भी पद पर तभी किया जायेगा, जब नामांकन प्रस्ताव पर प्रत्याशी की सदन में लिखित सहमति अंकित हो तथा प्रमाणित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित हो।

धारा 10.04: सामान्य निर्वाचन के समय कोई पद स्थान रिक्त हो जाये, तो संगठन के कार्यों के सम्पादनार्थ, अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा संयुक्त रूप से किये गये, मनोनयन से उसकी तात्कालिक पूर्ति की जा सकेगी परन्तु इसका अनुमोदन अगली कार्यकारिणी की बैठक में कराना अनिवार्य होगा।

धारा 10.05: प्रत्येक सदस्य को महासंघ की कार्यकारिणी में मात्र एक पद पर नामांकन/पद धारण का अधिकार होगा। दो पदों पर नामांकन की स्थिति मंे दोनों नामांकन निरस्त किये जायेंगे।

धारा 10.06: नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारी, महाधिवेशन में सम्पन्न निर्वाचन उपरान्त अपने पद की शपथ ग्रहण कर कार्य आरम्भ करेंगे।

धारा 10.07: मण्डल व जिला स्तरीय कार्यकारिणी तथा शाखा कार्यकारिणी का निर्वाचन भी धारा 10.00 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगा, परन्तु यह अन्तर होगा कि मण्डल/जिला कार्यकारिणी का गठन 2 वर्ष हेतु व शाखा (इकाई) का गठन एक वर्ष की अवधि हेतु होगा।

धारा 10.08: नई कार्यकारिणी का गठन न होने की स्थिति में भी शाखा (इकाई) कार्यकारिणी हर वर्ष 31 दिसम्बर को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

धारा 10.09: शाखा का निर्वाचन 31 दिसम्बर तक न होने पर मण्डल सचिव, जनपद अध्यक्ष/सचिव के सहयोग से निर्वाचन होने तक तदर्थ समिति गठित करेगा।

धारा 11.00: पदाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार:

धारा 11.01: प्रान्तीय अध्यक्ष

धारा 11.02:महासंघ का संवैधानिक एवं व्यवस्था प्रमुख होगा।

धारा 11.03: प्रान्तीय स्तर पर समस्त प्रतिनिधि मण्डलों का नेतृत्व एवं बैठकों का सभापतित्व करेगा।

धारा 11.04: महासंघ के समस्त कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं संगठनात्मक गतिविधियों का संचालन/निर्देशन करेगा।

धारा 11.05: वह वित्त व्यवस्था का नियन्त्रण करेगा। प्रान्तीय अध्यक्ष कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित सीमा तक व्यय करेगा। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय का अनुमोदन-अधिकार कार्यकारिणी को होगा।

धारा 11.06: कम से कम 10 प्रतिशत के लिखित निवेदन पर, जिसमें हर जनपद के न्यूनतम 5 सदस्य हों, वह सामान्य सभा की विशेष बैठक आमन्त्रित करेगा।

धारा 11.07: सभाओं/सम्मेलनों की कार्यवाही को विनियमित करेगा तथा किसी संदिग्ध बिन्दु पर नियम/उपनियम/आचार संहिता/परम्परा की व्याख्या करते हुए अपना निर्णय देगा।

धारा 11.08: सामान्य एकल मत के अतिरिक्त किसी भी विषय के पक्ष-विपक्ष में बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत दे सकेगा।

धारा 11.09: संगठन की आचार संहिता के प्रतिकूल आचरण करने अथवा संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने पर निलम्बन करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा, जिसका अनुमोदन आगामी कार्यकारिणी में करना आवश्यक होगा।

धारा 12.00: वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

धारा 12.01: प्रान्तीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उसकी भी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का कार्य करेगा।

धारा 12.02: वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रोन्नत सदस्यों के संगठनात्मक सुदृढ़ता एवं उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों के संगठनात्मक सुदृढ़ता हेतु उत्तरदायी होंगे।

धारा 12.03: वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रोन्नत सदस्यों की समस्याओं/प्रतिवेदनाओं के निवारणार्थ अध्यक्ष से सम्पर्क/तालमेल रखते हुए शासन/प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर सकेगा।

धारा 12.04: वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये विशिष्ट कार्यों का निर्वाहन करेगा।

धारा 13.00: महासचिव:

धारा 13.01: अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार कार्य करते हुए, महासचिव संगठन का प्रमुख निष्पादक अधिकारी होगा।

धारा 13.02: केन्द्रीय स्तर पर, संगठन के समस्त पत्राचार की प्राप्ति एवं निस्तारण की व्यवस्था करेगा। वृहद सभा, कार्यकारिणी एवं उच्चाधिकार समिति की बैठक तिथि, अध्यक्ष के परामर्श से निश्चित कर प्रस्तावित कार्य सूची सहित सदस्यों को आमंत्रित करेगा व इन बैठकों को आयोजित करेगा तथा इनकी कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करने व सम्यक अभिलेख हेतु उत्तरदायी होगा।

धारा 13.03: निर्वाचित लेखा परीक्षक/परीक्षकों के द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षण कराकर वित्त सचिव के माध्यम से कार्यकारिणी/महाधिवेशन में प्रस्तुत करेगा।

धारा 13.04: संगठन के कार्यों/गतिविधियों का प्रतिवेदन महाधिवेशन (वृहद सभा) में प्रस्तुत करेगा।

धारा 13.05: पत्राचार, टंकण व अभिलेख अध्यावधिक रखने हेतु वह अंशकालिक कर्मचारी की नियुक्ति कर सकता है, जिसका अनुमोदन कार्यकारिणी समिति से लेना होगा। पूर्णकालिक कार्मिक की तैनाती/सेवा समाप्ति हेतु कार्यकारिणी से पूर्वानुमोदन करना होगा। इन्हें स्थायी करने का निर्णय केवल वृहद सभा ही 10 वर्ष की अनवरत सेवा बाद में ले सकती है।

धारा 13.06: संगठन की ओर से कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित समस्त अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करेगा एवं अदालती कार्यवाही का प्रभारी होगा।

धारा 13.07: संगठन के हित में वह शासन/प्रशासन को महासंघ की ओर से संबोधित कर सकेगा।

धारा 13.08: कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित सीमा तक, वह संगठन हित में व्यय कर सकता है। अपरिहार्य एवं आकस्मिक स्थिति में अध्यक्ष की सहमति से, इस सीमा से अधिक होने वाले व्यय का अनुमोदन, 15 दिन के भीतर कार्यकारिणी बैठक आहूत कर, कराना अनिवार्य होगा।

धारा 13.09: अध्यक्ष की सहमति से उसे तदर्थ रूप से अगली बैठक तक मण्डलीय कार्यकारिणी के किसी भी रिक्त पद पर मनोनयन का पूर्ण अधिकार होगा। मण्डल सचिव की संस्तुति पर वह जनपद स्तरीय किसी भी पदाधिकारी को पद मुक्त करने तथा रिक्त पदों पर अवशिष्ट अवधि तक मनोनित करने हेतु पूर्णरूपेण सक्षम होगा।

धारा 14.00: अतिरिक्त महासचिव

धारा 14.01: अतिरिक्त महासचिव सदस्यों की परिवेदनाओं-समस्याओं के निराकरण हेतु उनसे पत्राचार करेगा। पत्राचार एवं वार्ता हेतु महासचिव के निर्देशानुसार समस्त कार्य सम्पादित करेगा।

धारा 14.02: संगठनात्मक गतिविधियों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं मण्डल सचिव से तालमेल कर उन्हें सुपुष्ट करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगा।

धारा 15.00: वित्त सचिव एवं लेखा परीक्षक:

धारा 15.01: वित्त सचिव हर स्रोत से प्राप्त धन का निर्धारित रसीद बुक में अंकन कर उसकी पावती देगा। उसके द्वारा अंकित रसीद के आधार पर ही महासंघ के केन्द्रीय खाते में प्रविष्टि उसके द्वारा की जायेगी। सभी रसीद बुकों का अंकन, इस हेतु निर्धारित पंजिका में दिया जायेगा।

धारा 15.02: वित्त सचिव रोकड़ बही का आलेखन, महासचिव के मार्ग निर्देशन में करेगा।

धारा 15.03: वित्त सचिव, प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव द्वारा पारित बीजकों का ही भुगतान करेगा।

धारा 15.04: वित्त सचिव को महासंघ के नाम से बैंक में खातों के संचालन का, अध्यक्ष/महासचिव के सहयोग से ही अधिकार होगा।

धारा 15.05: महासचिव के निर्देशानुसार वित्त सचिव लेखा परीक्षण हेतु सभी अभिलेख प्रस्तुत करेगा। आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रत्येक कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तुत करेगा।

धारा 15.06: लेखा परीक्षक वर्ष में कम एक बार तथा कार्यकारिणी के निर्देशानुसार एक से अधिक बार संगठन हितों के सुरक्षार्थ समस्त वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर उसकी शुद्धता प्रमाणित करेगा, तद्नुसार परीक्षण सूचना कार्यकारिणी में रखेगा।

धारा 15.07: मण्डल के वित्त/लेखा का सम्प्रेक्षण प्रान्तीय वित्त सचिव द्वारा किया जायेगा एवं जनपद के वित्त/लेखा का सम्प्रेक्षण मण्डल वित्त सचिव द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार शाखा के लेखा/वित्त का सम्प्रेक्षण जनपद वित्त सचिव द्वारा किया जायेगा तथा मण्डल/जनपद/शाखा में कैशबुक लेखा व रखरखाव का कार्य किया जायेगा।

धारा 16.00: प्रचार एवं प्रकाशन सचिव

धारा 16.01: प्रचार एवं प्रकाशन सचिव, संगठन की गतिविधियों, कार्यक्रमों, का अध्यक्ष/महासचिव के निर्देशानुसार सुसंगत रूप से प्रचार-प्रसार करेगा। अध्यक्ष/महासचिव से परामर्श कर, उसे प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार होगा, आवश्यकता पड़ने पर वह संगठन के प्रवक्ता का दायित्व संवहन करेगा।

धारा 16.02: प्रचार एवं प्रकाशन सचिव, संगठन के समस्त प्रकाशन, पत्रिका, परिपत्र का सम्पादन व प्रकाशन करेगा। प्रकाशनार्थ प्राप्त रचनाओं में संशोधन/परिमार्जन करने का उसे पूर्ण अधिकार होगा, वह संगठन हित में उपादेय शासनादेशों, विभागीय परिषदीय/निगमिय आदेशों एवं तकनीकी/बौद्धिक/सांस्कृतिक अभिलेखों व तथ्यों का संकलन करेगा।

धारा 16.03: प्रचार एवं प्रकाशन सचिव पद मनोनयन के माध्यम से भरा जायेगा।

धारा 17.00: सचिव प्रोन्नत:- प्रोन्नत सदस्यों की समस्याओं के निस्तारण हेतु वरिष्ठ उपाध्यक्ष के सहयोग से कार्य करेगा।

धारा 18.00: संगठन सचिव:- संगठनात्मक गतिविधियों को संचालित कराना संगठन सचिव का मुख्य दायित्व होगा। वह क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त

पदाधिकारियों/सदस्यों के मध्य सम्पर्क स्थापित करते हुए एकता भाव का सृजन कर संगठन हित में कार्य करेगा।

धारा 19.00: मनोनीत पदाधिकारी:

धारा 19.01: संरक्षक: संगठन हित में अप्रतिम योगदान कर चुके सम्मानित सदस्य को, संरक्षक के गरिमापूर्ण पद पर नवगठित कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जायेगा। उसे कार्यकारिणी तथा सामान्य सदस्यों को, अपने अनुभव जनित दिशा निर्देश देने का अधिकार होगा, परन्तु किसी प्रसंग पर मतदान की स्थिति आने पर संगठन के सर्वोच्च प्रतिष्ठावान पद पर आसीन होने के कारण, संरक्षक की पक्षातीत भूमिका रहेगी।

धारा 19.02: केन्द्रीय कार्यकारिणी में मनोनीत किये गये अन्य दस सदस्यों को संगठन हित में विविध दायित्व अध्यक्ष/महासचिव द्वारा सौंपे जा सकते हैं। इनमें से एक, जो मुख्यालय वाले स्थान पर कार्यरत होगा, संगठन का संयुक्त सचिव होगा तथा महासचिव द्वारा अधिकृत पत्राचार करेगा व प्रान्तीय पुस्तकालय एवं महासंघ भवन का प्रभारी होगा।

धारा 20.00: पदेन सदस्य:

धारा 20.01: सद्य पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव तथा उत्तराखण्ड स्तरीय घटक संघों के अध्यक्ष व महासचिव/महामंत्री उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदेन सदस्य के रूप में कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये दायित्व का संवहन करेंगे।

धारा 21.00: मण्डलीय कार्यकारिणी:

धारा 21.01: मण्डल का कार्यक्षेत्र प्रशासनिक/राजस्व मण्डल (कमिश्नरी) होगा, जो वर्तमान में कुमाऊं तथा गढ़वाल हैं इसका मुख्यालय मण्डल मुख्यालय में होगा।

धारा 21.02: मण्डल कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी होंगे-

मण्डल अध्यक्ष - 01 पद

मण्डल उपाध्यक्ष - 01 पद

मण्डल उपाध्यक्ष (महिला) - 01 पद

मण्डल सचिव - 01 पद

धारा 21.03: (क) समस्त घटक संघों के मण्डल में कार्यरत, मण्डलीय अध्यक्ष/सचिव, महासंघ की मण्डलीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(ख) महासंघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य, अपने कार्यक्षेत्र वाली मण्डलीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(ग) जनपद अध्यक्ष/सचिव पदेन सदस्य होंगें।

धारा 21.04: प्रान्तीय अधिवेशन में ही सम्बन्धित मण्डलों के प्रमाणिक सदस्यों द्वारा मण्डलीय कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा।

धारा 21.05: मण्डलीय कार्यकारिणी के सदस्यों का दायित्व निम्नानुसार होगा:-

धारा 21.06: मण्डल अध्यक्ष-

धारा 21.07: मण्डल में महासंघ के समस्त क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा। मण्डलीय कार्यकारिणी की बैठक का सभापतित्व करेगा व मण्डल स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेगा।

धारा 21.08: कम से कम चार माह में एक बार कार्यकारिणी बैठक आयोजित करेगा।

धारा 21.09: सदस्यों की समस्याओं के समाधान/निराकरण हेतु सक्षम अधिकारी व जन प्रतिनिधि से सम्पर्क/वार्ता करेगा।

धारा 21.10: मण्डल उपाध्यक्ष

धारा 21.11: मण्डल अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा रिक्तता की स्थिति में वह उसके समस्त दायित्वों का संचालन करेगा।

धारा 21.12: मण्डल अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए सभी कार्यो का निष्पादन करेगा।

धारा 21.13: मण्डल सचिव:

धारा 21.14: मण्डल स्तरीय समस्त पत्राचार एवं संगठन सम्बन्धी सभी अभिलेखों के सम्यक रख-रखाव हेतु उत्तरदायी होगा। इस हेतु कार्यालय की स्थापना एवं सहायक की तैनाती भी मण्डल कार्यकारिणी के निर्देशानुसार कर सकेगा।

धारा 21.15: सदस्यों की समस्याओं/परिवेदनाओं के निस्तारण एवं समाधान हेतु सक्षम अधिकारी से पत्राचार करेगा।

धारा 21.16: सदस्यों से प्राप्त धन को वित्त सचिव को हस्तगत करायेगा।

धारा 22.00: जनपद कार्यकारिणी:

धारा 22.01: जनपदों (जिलों) के कार्यक्षेत्र प्रशासनिक/राजस्व जिला सीमाओं के अनुरूप होंगे। किसी सदस्य का कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिलों में यदि पड़ता है, तो वह स्वयं के मुख्यालय वाले जिले की गतिविधियों में ही भाग लेगा।

धारा 22.02: यदि किसी सदस्य का कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिलों में पड़ता है, तो वह स्वयं के मुख्यालय वाले जिले की गतिविधियों में ही भाग लेगा।

धारा 22.03: किसी भी जनपद के अन्तर्गत महासंघ के समस्त सदस्यों के समूह को जनपद शाखा की संज्ञा दी जायेगी।

धारा 22.04: जनपद (जिला) स्तरीय कार्यकारिणी का गठन एतदर्थ आहूत जनपद अधिवेशन/ सम्मेलन में उक्त जनपद के कुल सदस्यों की न्यूनतम 25 प्रतिशत उपस्थिति में आम निर्वाचन द्वारा किया जायेगा जिसका कार्यकाल 2 वर्ष होगा तथा जिसका गठन प्रति दो वर्ष में माह दिसम्बर/जनवरी में किया जायेगा।

धारा 22.05: जनपद कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी होंगे-

जनपद अध्यक्ष - 01

जनपद सचिव - 01

केन्द्रीय व मण्डलीय कार्यकारिणी के वे सभी सदस्य जनपद कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे जिनका मुख्यालय उस जनपद में स्थित हो।

संगठनात्मक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु, संचालन विभिन्न शासकीय अभियन्त्रण विभागों/उपक्रमों के पदाधिकारियों द्वारा नामित एक-एक सदस्य मनोनीत सदस्य होंगे।

(अ) समस्त घटक संघों के जनपद में कार्यरत, जनपद अध्यक्ष/सचिव महासंघ की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(ब) शाखा अध्यक्ष/सचिव पदेन सदस्य होंगे।

धारा 22.06: जनपदीय पदाधिकारियों का दायित्व निम्नानुसार होगा-

धारा 22.07: जनपद अध्यक्ष:

धारा 22.08: जनपद में संगठन के समस्त क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा। जनपद अधिवेशन व कार्यकारिणी की बैठक का सभापतित्व करेगा तथा जनपद स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेगा।

धारा 22.09: कम से कम तीन माह में एक बार कार्यकारिणी बैठक व 2 वर्ष में जनपद अधिवेशन आयोजित करेगा।

धारा 22.10: न्यूनतम 20 प्रतिशत सदस्यों के अनुरोध पर वह जिला सम्मेलन तथा कार्यकारिणी के 3 सदस्यों के अनुरोध पर जनपद कार्यकारिणी की बैठक इस अन्तराल से पूर्व भी आयोजित करायेगा।

धारा 22.11: जनपद स्तरीय लेखा का नियंत्रण करेगा।

धारा 22.12: जनपद सचिव:

धारा 22.13: जनपद स्तरीय समस्त पत्राचार एवं संगठन अभिलेखों के सम्यक रखरखाव हेतु उत्तरदायी होगा। इस हेतु कार्यालय की स्थापना एवं सहायक की नियुक्ति भी जनपदीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार कर सकेगा।

धारा 22.14: सदस्यों की समस्याओं/परिवेदनाओं के निस्तारण व समाधान हेतु सक्षम अधिकारी से पत्राचार करेगा।

धारा 22.15: जनपद अध्यक्ष की सलाह से वह इकाई स्तर पर रिक्त अध्यक्ष, सचिव को तदर्थ नियुक्त करेगा तथा इसके हस्तान्तरण की त्वरित सूचना महासचिव एवं मण्डल सचिव को देगा।

धारा 22.16: शाखा अध्यक्ष एवं सचिव का स्थानान्तरण होने पर इसकी त्वरित सूचना मण्डल सचिव एवं महासचिव को देते हुए स्थानान्तरित पदाधिकारी के पास विद्यमान महासंघ के अभिलेखों के उचित हस्तान्तरण की व्यवस्था करेगा।

धारा 22.17: सदस्यों से महासंघ का शुल्क एवं अन्य अभिदान एकत्र करा, उसका आलेखन एवं प्रान्तीय कार्यालय को प्रेषण कराये जाने का प्रभारी होगा।

धारा 22.18: जनपद के अन्तर्गत महासंघ के क्रियाकलापों का विवरण जनपद अधिवेशन में प्रस्तुत करेगा।

धारा 22.19: जनपद अध्यक्ष द्वारा पारित जनपद स्तरीय व्यय के बीजकों का भुगतान करेगा।

धारा 22.20: जनपद सचिव, जनपद के कोष का भी प्रभारी होगा।

धारा 22.21: जनपद बैठक की तिथि अध्यक्ष से परामर्श पर निर्धारित करेगा व प्रस्तावित कार्य सूची सहित प्रसारित कर आयोजन करेगा।

धारा 22.22: जनपदीय कार्यालय, जनपद सचिव के मुख्यालय में स्थित होगा।

धारा 22.23: जनपदीय स्तर के व्यय हेतु जनपद स्तरीय कोष निर्धारण का अधिकार जनपद कार्यकारिणी को होगा।

धारा 23.00: शाखा:

धारा 23.01: किसी भी नगर पंचायत/तहसील/विकास खण्ड आदि के अन्तर्गत कार्यरत महासंघ के समस्त सदस्यों के समूह को केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित किये जाने उपरान्त शाखा (इकाई) की संज्ञा दी जायेगी।

धारा 23.02: यह महासंघ की आधारित इकाई होगी।

धारा 23.03: इसकी कार्यकारिणी बैठक हर दो माह में एक बार होगी।

धारा 23.04: शाखा इकाई का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष का होगा। शाखा कार्यकारिणी का चुनाव होगा जिसमें शाखान्तर्गत कार्यरत सदस्यों में से 30 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

धारा 23.05: शाखा कार्यकारिणी:

इसमें निम्न पदाधिकारी होंगे:-

शाखा (इकाई) अध्यक्ष 01 पद

शाखा (इकाई) सचिव   01 पद

इकाई क्षेत्र में कार्यरत विभागों/उपक्रमों से एक-एक मनोनीत प्रतिनिधि।

जनपद कार्यकारिणी के वे पदाधिकारी जिनका मुख्यालय उस शाखा क्षेत्र में पड़ता हो।

धारा 23.06: पदाधिकारियों के दायित्व।

धारा 23.07: इकाई अध्यक्ष:

धारा 23.08: इकाई स्तर पर सामान्य मासिक बैठक कराना।

धारा 23.09: इकाई स्तर की बैठकों का सभापतित्व करना।

धारा 23.10: इकाई क्षेत्र में संगठनात्मक गतिविधियों को सुपुष्ट करना।

धारा 23.11: इकाई के अन्तर्गत किसी भी सदस्य से स्पष्टीकरण मांगना।

धारा 23.12: महासंघ के निर्देशों का अनुपालय कराना।

धारा 23.13: इकाई कोषाध्यक्ष के लेखे का परीक्षण करना।

धारा 23.14: इकाई सचिव

धारा 23.15: इकाई स्तर पर विभागवार, सदस्यों का पूर्ण विवरण, केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, महासंघ पंजिका में अंकित करना।

धारा 23.16: केन्द्र, मण्डल तथा जनपद से आये निर्देशों/परिपत्रों को मासिक बैठक में पढ़कर सुनाना या वितरित करना।

धारा 23.17: इकाई अध्यक्ष से परामर्श कर, कार्यकारिणी/बैठक तिथि की घोषणा व प्रस्तावित कार्य सूची का प्रसारण तथा आयोजन करना।

धारा 23.18: बैठक की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना।

धारा 23.19: ऐसे सदस्यों के नामों की जो स्थानान्तरण के कारण इकाई क्षेत्र को छोडते हैं, योगदान देकर नव नियुक्त होते हैं, प्रोन्नत होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, अथवा पद त्याग करते है, जनपद सचिव, मण्डल सचिव सहित महासचिव को सूचना देना।

धारा 23.20: किसी भी सदस्य के आकस्मिक निधन, उसके कारण तथा शोक संतप्त परिवार की दशा की विस्तृत सूचना, महासचिव, प्रान्तीय प्रचार सचिव व मण्डल/जनपद सचिव को देना।

धारा 23.21: महासंघ के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अपनी इकाई में उचित अनुशासन बनाये रखना।

धारा 23.22: महासंघ का आधारिक पदाधिकारी होने के नाते, किसी भी सदस्य द्वारा महासंघ के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को पत्र, प्रत्यावेदन या अभ्यावेदन पर इकाई सचिव की संस्तुति अंकित होना अनिवार्य होगा।

धारा 23.23: शाखा सचिव, शाखा के कोष का प्रभारी भी होगा।

धारा 23.24: शाखा के कोष का आलेखन तथा शाखा अध्यक्ष द्वारा पारित इकाई स्तर के व्यय के बीजकों का भुगतान करेगा।

धारा 24.00: पदाधिकारियों की पद-मुक्ति:

धारा 24.01: यदि प्रान्तीय/मण्डल/जनपद/शाखा कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य, अपने पद-दायित्व के संवहन में निष्ठाहीनता अथवा अरूचि का दोषी पाया जाता है, तो उस प्रयोजनार्थ आयोजित कार्यकारिणी समिति में उससे स्पष्टीकरण लेते हुए उपस्थिति 2/3 सदस्यों की संस्तुति पर, वह अध्यक्ष द्वारा पद भार से मुक्त कर दिया जायेगा।

धारा 24.02: विभाग/उपक्रम से किसी कारण सेवा मुक्ति अथवा नैतिक अपराध के लिए न्यायालय से दण्डित होना अथवा त्याग पत्र स्वीकार किये जाने की दशा में महासंघ के किसी भी पदाधिकारी, संरक्षक सहित, का पदाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

धारा 24.03: प्रान्तीय अध्यक्ष को पद से हटाने के लिये प्रान्तीय कार्यकारिणी के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकारिणी द्वारा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा उसी कार्यकारिणी में ही त्याग पत्र देना होगा। इसके पश्चात् महासचिव द्वारा शीघ्र ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष की सहमति से आपातकालीन वृहद कार्यकारिणी सभा (वृहद सभा का तात्पर्य कार्यकारिणी के समस्त सदस्य एवं जनपद अध्यक्ष तथा सचिव होंगे) आहूत की जायेगी, जिसमें उक्त त्याग पत्र पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा। मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

धारा 24.04: संरक्षक को पद से हटाने के लिए, स्पष्टीकरण लेने के बाद, कार्यकारिणी बहुमत से निर्णय लेगी।

धारा 25.00: निधि (कोष) एवं उसकी संचालन व्यवस्था:

धारा 25.01: महासंघ की समस्त धनराशि कार्यकारिणी द्वारा तय किसी भी अधिसूचित बैंक में महासंघ के नाम से, चालू, संचयी या फिक्स खाते में जमा की जायेगी।

धारा 25.02: यह खाता अध्यक्ष, महासचिव एवं वित्त सचिव के संयुक्त नाम से होगा तथा यह वित्त सचिव तथा अध्यक्ष एवं महासचिव में से किसी एक के अस्ताक्षरों से परिचालित होगा।

धारा 25.03: किसी मद में कोष एकत्रित करने हेतु प्रान्तीय कार्यकारिणी का निर्णय अनिवार्य होगा, परन्तु विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में प्रान्तीय अध्यक्ष की अनुमति से तात्कालिक स्थिति से निपटने हेतु विशेष कोष का अनुरोध किया जा सकता है जिसका अनुमोदन अग्रिम कार्यकारिणी में कराना होगा।

धारा 25.04: महासंघ के नाम सदस्यता शुल्क व वृहद सभा द्वारा निर्धारित विशेष मद से फिक्स खाते में जमा राशि में से आहरण/समापन केवल वृहद सभा की अनुमति से किया जा सकेगा।

धारा 25.05: जनपद व शाखा स्तरीय व्यय हेतु केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदन पश्चात् आंशिक राशि अथवा विशेष अभिदान का खाता जनपद/शाखा स्तर पर खोला जायेगा, जिसका लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष मण्डल अध्यक्ष/सचिव द्वारा किया जायेगा।

धारा 25.06: कोई भी प्रान्तीय/मण्डलीय/जनपदीय या इकाई निधि, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से न होकर महासंघ के नाम से निक्षेपित होगी जो केवल अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा ही संचालित होगी।

धारा 25.07: लेखन सामग्री, पत्राचार आदि कार्यालय के दैनन्दिक व्यय, कार्यालय प्रभारी के नाम स्थायी अग्रदाय, प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित सीमा तक खोला जा सकेगा।

धारा 25.08: आय-व्यय का अद्यावधिक विवरण कार्यकारिणी समिति की हर बैठक में रखना अनिवार्य होगा।

धारा 25.09: आर्थिक अनुशासन, महासंघ में प्रभावी रूप से लागू करना व कराना हर स्तर के पदाधिकारी का कर्तव्य होगा। सामान्य परिस्थितियों में

यात्रा प्रवास मितव्ययी माध्यम से ही करना होगा तथा तद्नुसार ही यात्रा देयक पारित किया जायेगा।

धारा 25.10: सदस्यों व कार्मिकों के अलावा अन्य लागों/प्रतिष्ठानों को भुगतान चैक द्वारा ही किया जायेगा।

धारा 25.11: महासंघ की विधिवत् आहूत सभाओं, बैठकों, अधिवेशन में भाग लेने वाले पदाधिकारियों तथा प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित/अनुमोदित संगठनात्मक भ्रमण कार्यक्रमों पर किया गया यात्रा व्यय, महासंघ की प्रान्तीय निधि से वहन किया जायेगा।

धारा 26.00: विविध

धारा 26.01: किसी विशेष प्रयोजनार्थ, उपसमिति गठित करने अथवा प्रतिनिधि मण्डल नियुक्त करने एवं उसे तत्सम्बन्धी अधिकारों के प्रतिनिधायन का अधिकार वृहद सभा अथवा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को होगा।

धारा 26.02: महासंघ का वित्तीय वर्ष, प्रतिवर्ष 01 जनवरी से 31 दिसम्बर होगा।

धारा 26.03: प्रत्येक विषय, प्रस्ताव अथवा संशोधन पर किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के आदेशानुसार बोलने का अधिकार होगा। प्रस्ताव के प्रस्तावक को प्रति उत्तर में सभा को सम्बोधित करने का अधिकार होगा। समस्त सभाओं में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

धारा 26.04: महासंघ की समस्त सम्पत्ति अपने निगमित स्वरूप में महासंघ की होगी, तथा अध्यक्ष एवं महासचिव उसके न्यासी होंगे।

धारा 26.05: जब तक समस्त सदस्यों की संख्या का 1/10, प्रमाणिक सदस्यों की सूची में रहेगा, महासंघ भंग नही होगा।

धारा 26.06: प्रत्येक सदस्य अपने पते में परिवर्तन की सूचना शाखा सचिव को देगा, ऐसा न होने पर पूर्व पते पर प्रेषित परिपत्र, उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ माना जायेगा।

धारा 26.07: किसी भी समिति के सदस्यों में मतभेद की दशा में वृहद सभा/प्रान्तीय कार्यकारिणी का निर्णय, अन्तिम सर्वमान्य एवं बाध्यकारी होगा।

धारा 26.08: महासंघ अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रत्यक्ष, प्रत्यावेदनों, एवं वार्ताक्रमों का आश्रय लेगा तथा परोक्ष संसाधनों से सर्वथा परे रहेगा।

धारा 26.09: महासंघ नियमों में समस्त संशोधन, संसाधनों, द्विवार्षिक कार्यवाहियों की प्रतिलिपि तथा पदाधिकारियों की सूची, नियमित रूप से विभाग, तथा शासन को प्रस्तुत करेगा।

धारा 26.10: प्रान्तीय, मण्डलीय, जनपदीय एवं शाखा कार्यकारिणी के समस्त सदस्य महासंघ के पूर्णतया अवैतनिक पद धारक होंगे।

धारा 26.11: ;पद्ध उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की मान्यता (दि0 27.03.2007) प्राप्त होने के बाद नये घटक संघों को महासंघ से विधिवत् निर्धारित प्रारूप के द्वारा सम्बद्धता लेनी आवश्यक होगी, जिसका शुल्क रू0 5000/- (पाँच हजार मात्र) एकमुश्त एक बार जमा करना होगा, जो अहस्तान्तरणीय होगा।

(पप) यदि घटक संघ मान्यता प्राप्त नही है तो मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए महासंघ को समय-समय पर प्रगति की सूचना देनी होगी, जिन विभागों में घटक संघ का गठन नही हुआ है वे दिसम्बर 2008 तक आवश्यक रूप से गठन करेंगे, अन्यथा संघ के बिना सम्बन्धित सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह प्रतिबंध 25 सदस्य संख्या से कम सदस्यों वाले घटक संघों पर बाध्य नही होगा।

धारा 26.12: घटक संघ के सदस्य महासंघ से सीधे सदस्यता ग्रहण करेंगे तथा महासंघ के सदस्य को सम्बन्धित घटक संघ की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी।

धारा 26.13: घटक संघ के सदस्य के निलम्बन/निष्कासन की स्थिति में संघ द्वारा महासंघ को पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा तथा महासंघ को 6 माह के अन्तर्गत उस पर निर्णय लेना होगा। महासंघ द्वारा प्रसंग के निस्तारण हेतु सम्बन्धित सदस्य से भी उक्त अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त कर विचार किया जाएगा। निलम्बन/निष्कासन को बहाल करने हेतु संघ को पूर्ण औचित्य तथा कार्यवाही सहित महासंघ को सूचित करना होगा तदनुसार ही महासंघ भी कार्यवाही करेगा।

धारा 26.14: घटक संघ को महासंघ के कार्यक्रमों में भागीदारी न करने, निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में पर्याप्त स्पष्टीकरण लेने के बाद घटक संघ की सम्बद्धता का निलम्बन/निष्कासन का अधिकार महासंघ

कार्यकारिणी को होगा। कार्यकारिणी में निष्कासन दो तिहाई सदस्यों व निलम्बन बहुमत द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक घटक संघ अपनी कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही तथा संघर्ष कार्यक्रम की विधिवत् लिखित सूचना महासंघ को देगा।

धारा 26.14 (अ): विस्थापित घटक संघ के पुनः सम्बद्धता लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र में स्पष्ट कारणों सहित दो गुना सम्बद्धता शुल्क पुनः जमा करना होगा।

(ब) महासंघ में संघर्ष कार्यक्रम की अवधि में किसी भी घटक संघ का पूर्व घोषित कार्यक्रम स्वतः स्थगित माना जायेगा। साथ ही इस अवधि में किसी भी घटक संघ को अपना पृथक संघर्ष कार्यक्रम घोषित होने का अधिकार नहीं होगा।

(स) महासंघ के घटक संघों की सम्बद्धता नियमित रखने हेतु घटक संघ की बाध्यता होगी कि संघ का विधिवत पारित संविधान हो तथा उसका शत-प्रतिशत पालन किया जा रहा हो, घटक संघ प्रत्येक कार्यकारिणी की कार्यवाही महासंघ को भेजना सुनिश्चित करेगा अन्यथा उनके पदाधिकारियों को महासंघ की बैठकों में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होगा।

धारा 26.15: महासंघ समस्त डिप्लोमा इंजीनियरों के सामुहिक हितों के रक्षार्थ नीतिगत बिन्दुओं पर स्वतंत्र कार्य करेगा एवं महासंघ के मांग पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं पर महासंघ कार्यवाही/परसुएसन करने हेतु स्वतंत्र होगा। महासंघ घटक संघ के अनुरोध के बिना घटक संघ अथवा उसके सदस्य की किसी भी आंतरिक या विभागीय समस्या पर सीधे कार्यवाही नही करेगा।

धारा 26.16: महासंघ का सदस्य, डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठनों के अतिरिक्त किसी भी अन्य संघ, महासंघ, परिसंघ की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा। मात्र विभागीय कार्मिकों की सामुहिक समस्याओं के निस्तरण हेतु विभाग के अन्य संवर्गो के साथ विभागीय घटक संघ ही सामंजस्य रखेगा, जो विभागीय क्रिया-कलापों से बाहर स्वीकार नहीं होगा। कोई भी घटक संघ/सदस्य किसी भी टेªड यूनियन अथवा सम्बन्धित संगठन से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेगा।

धारा 26.17: प्रान्तीय कार्यकारिणी का कोई सदस्य/पदाधिकारी यदि किसी भी कारण से हटाया जाता है अथवा बर्खास्त किया जाता है या बिना किसी सुसंगत कारण से त्याग पत्र देता है तो ऐसे सदस्य को आगामी कार्यकाल हेतु किसी भी पद पर निर्वाचन हेतु नामांकन करने के लिए अक्षम माना जायेगा।

धारा 26.18: घटक संघ एवं महासंघ का ऐसा सदस्य जिसने महासंघ के आन्दोलन कार्यक्रम एवं अन्य किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं की हो, उन्हें किसी भी पद पर आगामी 02 कार्यकाल के लिए निर्वाचन हेतु नामाकंन का अधिकार नहीं होगा। ऐसे सदस्य की संस्तुति घटक संघ, संगठन एवं शाखा में पदाधिकारियों की संस्तुतियों के बाद ही विचारणीय होगी।

धारा 26.19: महासंघ के अध्यक्ष/महासचिव के पद हेतु वही सदस्य पात्र होंगे जो राज्यान्तर्गत किसी मोर्चे/परिसंघ के पदेन पदाधिकारी नही होंगे। (इस प्रतिबंध से राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आन्दोलन पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित राज्य स्तरीय व अन्य पदाधिकारियों को मुक्त रखा जायेगा।

उत्तराखण्ड, देहरादून

परिवार कल्याण योजना संविधान नियमावली

योजना का नामः 'परिवार कल्याण योजना' उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ जिसे संक्षेप में 'परिवार कल्याण योजना उ.डि.इं. महासंघ' भी लिखा जा सकेगा।

योजना का उद्देश्य:

(क) उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की इस योजना के सदस्य की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार अथवा विधिमान्य आश्रितों को उस विकट स्थिति से उबरने हेतु निर्धारित आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना।

(ख) सदस्यों के परिवार के कल्याणार्थ योजना तैयार करना एवं उसका क्रियान्वयन कराना।

(ग) सेवाकाल पूर्ण होने से पूर्व स्थाई अपंगता के कारण सेवाच्युत/सेवानिवृत्त किये गये सदस्य को भी नियमानुसार आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना।

(घ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्यों से अभिदान प्राप्त करना एवं अन्य उपयुक्त स्रोतों से निधि में वृद्धि करना।

(ङ) यह योजना उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के नियंत्रण में संचालित की जायेगी तथा उसके उद्देश्यों की अनुपूरक होगी।

स्थान: इस योजना समिति का मुख्यालय महासंघ का प्रान्तीय कार्यालय होगा।

परिभाषायें: जब तक कि अन्यथा संदर्भ न हो:-

(क) योजना का तात्पर्य परिवार कल्याण योजना उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ से है।

(ख) सदस्य का तात्पर्य इस योजना में निर्धारित अभिदान देकर सदस्यता ग्रहण करने वाले महासंघ के आजीवन सदस्य से है।

(ग) समिति का तात्पर्य महासंघ द्वारा विधिवत गठित की गई समिति से है।

(घ) प्रान्तीय कार्यालय का तात्पर्य महासंघ के प्रान्तीय कार्यालय से होगा।

सदस्यता: उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कोई भी आजीवन सदस्य निर्धारित अभिदान राशि एक साथ देकर परिवार कल्याण योजना की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। सदस्य को योजना संचालन हेतु निर्धारित पंजीकरण शुल्क भी सदस्यता अभिदान के साथ ही देना होगा। वर्तमान में प्रथम चरण की सदस्यता हेतु अभिदान राशि निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0

अभिदान राशि

पंजीकरण शुल्क

कुल धनराशि

1

रू0 5000/-

रू0 100/-

रू0 5100/-

वित्तीय वर्ष: वित्तीय वर्ष का तात्पर्य 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक माना जायेगा।

निधि का संचालन: परिवार कल्याण योजना का संचालन 'परिवार कल्याण योजना समिति' द्वारा किया जायेगा। जिसके निम्न सदस्य होंगे, यह समिति प्रान्तीय कार्यकारिणी के अधीन होगी एवं प्रान्तीय कार्यकारिणी के प्रति सीधी उत्तरदयी होगी।

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	विवरण
अध्यक्ष	1 (एक) पदेन	महासचिव	

उपाध्यक्ष	1 (एक) पदेन	अति महासचिव
सचिव	1 (एक) प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत	
वित्त सचिव (कोषाध्यक्ष)	1 (एक)	तदैव-
लेखा परीक्षक	1(एक) पदेन-लेखा परीक्षक, प्रान्तीय कार्यकारिणी	

सदस्यता समाप्ति: सदस्य के सेवा निवृत्त हो जाने की तिथि से उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। ऐसी दशा में सदस्य द्वारा जमा की गई मूल धनराशि (पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) ब्याज रहित, उसके द्वारा प्रार्थना-पत्र तथा सदस्यता के मूल प्रमाण पत्र वापिस लौटाने के उपरान्त ही वापस की जायेगी।

सदस्यता ग्रहण करना:

(क) उ.डि.इं. महासंघ का कोई भी आजीवन सदस्य इस योजना का निर्धारित सदस्यता प्रपत्र भरकर नियम-5 के अनुसार सदस्यता राशि जमा करके आवेदन कर सकते हैं। प्रपत्र में आवेदनकर्ता उन लोगों के नाम वरीयताक्रम से देंगे जो सदस्य की मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर समिति को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का पात्र होगा।

(ख) इस योजना की सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से 10 वर्षों (दस वर्षों) तक योजना में जमा की गई धनराशि धारा-8 में वर्णित स्थिति को छोड़कर किसी भी स्थिति में वापिस नही की जायेगी।

योजना से देय सहायता: परिवार कल्याण योजना के सदस्य की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने या स्थाई अपंगता हो जाने पर उसके परिवार मात्र पत्नी अथवा पुत्र या अविवाहित पुत्रियों अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति को पर रू 2,00,000/- (रू0 दो लाख) आर्थिक सहयोग के रूप में अनुमन्य होगी।

अवधि सीमा: इस योजना के अन्तर्गत अनुमन्य सहायता राशि योजना का सदस्य बनने की तिथि से एक वर्ष बाद ही देय होगी। एक वर्ष से पूर्व सदस्य की मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता होने पर केवल मूल धनराशि (ब्याज रहित) ही प्रभावित परिवार को देय होगी।

सहायता राशि का भुगतान: सेवारत सदस्य के निधन/स्थाई अपंगता की विधिवत् सूचना प्राप्त होने की दशा में समिति द्वारा सम्बन्धित सदस्य के नामित व्यक्ति को नियमानुसार सहायता राशि का पूर्ण भुगतान सीधे बैंक ड्राफ्ट/क्रास्ड चैक द्वारा दी जायेगी।

निधि या संचय:

(क) योजना के सदस्यों से प्राप्त पंजीकरण व अभिदान राशि।

(ख) सेवानिवृत्त/सेवारत उ.डि.इं. महासंघ के सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक दिया गया दान।

(ग) योजना के संचालन समिति की संस्तुतियों के उपरान्त महासंघ के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य संघों, संगठनों अथवा व्यक्तियों से प्राप्त स्वैच्छिक दान।

(घ) सदस्यता शुल्क को राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में फिक्सड डिपोजिट के रूप में जमा करने पर अर्जित ब्याज।

बैठक:

(क) समिति की बैठकें अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा निर्धारित स्थान व तिथि पर होगी, जिसकी पूर्व सूचना सात दिन पहले देना आवश्यक होगा। इस बैठक में पिछली अवधि में किये गए कार्यो की समीक्षा तथा आवश्यक अनुमोदन इत्यादि की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) बैठक में समिति के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति पर ही कोरम पूरा माना जायेगा।

(ग) आपातकालीन बैठक के आयोजन का अधिकार योजना समिति के अध्यक्ष को सुरक्षित रहेगा।

समिति की कार्यप्रणाली:

(क) समिति को नियम/उपनियम बनाने का कोई अधिकार नही होगा। समिति मात्र प्रस्ताव बनाकर महासंघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी जो उन पर आवश्यक निर्णय लेगी।

(ख) योजना का लेखा-जोखा वित्त सचिव (कोषाध्यक्ष) द्वारा रखा जायेगा।

(ग) लेखा परीक्षण वर्ष में न्यूनतम दो बार लेखा परीक्षक द्‌वारा किया जायेगा। लेखा परीक्षक द्‌वारा परीक्षण आख्या प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक में तथा निष्कर्ष महासंघ के महाधिवेशन में वित्त सचिव द्‌वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) समिति का कार्यकाल प्रान्तीय कार्यकारिणी के कार्यकाल में समतुल्य दो वर्ष का होगा।

(ड़) योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में जमा की जानी अनिवार्य होगी जिसका संचालन योजना समिति के अध्यक्ष एवं वित्त सचिव (परिवार कल्याण योजना) के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

(च) सदस्य की मृत्यु/स्थाई अपंगता अथवा सेवानिवृत्त/पदत्याग की दशा में देय धनराशि तथा कार्यालय संचालन हेतु महासंघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी द्‌वारा अनुमोदित राशि के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु धनराशि नहीं निकाली जा सकेगी।

(छ) सदस्यता शुल्क की फिक्स डिपोजिट की धनराशि की अवधि परिपक्व होने पर पुनः आगामी अवधि के लिए फिक्स डिपोजिट कराना वित्त सचिव (कोषाध्यक्ष) का दायित्व होगा एवं किसी भी दशा में इन्हें कैश नही कराया जा सकेगा।

(ज) इस योजना की धनराशि महासंघ के किसी अन्य मदों में किसी भी दशा में व्यय नही की जायेगी।

अन्य शर्तें:

(क) योजना का सदस्यता प्रमाण पत्र प्रान्तीय कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा हो जाने पर ही निर्गत किया जायेगा।

(ख) इस योजना की रसीद बुक परिवार कल्याण योजना समिति के वित्त सचिव (कोषाध्यक्ष) के पास रहेगी जो महासंघ की प्रान्तीय रसीद बुक से पृथक होगी तथा उस पर परिवार कल्याण योजना अंकित होगा।

(ग) योजना का सदस्यता शुल्क नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार होगा। इंस हेतु चैक स्वीकर नही होंगे।

(घ) प्रान्तीय कार्यालय में इस योजना का सदस्यता शुल्क जमा हो जाने की तिथि से सदस्यता प्रभावी मानी जायेगी।

(ड़) इस योजना के किसी विवाद के निपटारे हेतु, न्यायिक क्षेत्र, उत्तराखण्ड के सक्षम न्यायालय ही अधिकृत व मान्य होगा।

(च) इस योजना का संचालन परोपकारी/सदस्य हितार्थ भावना से किया जायेगा।

(छ) स्थाई अपंगता का तात्पर्य संबंधित सदस्य के स्थाई अपंगता के कारण सेवाच्युत/ सेवानिवृत्त हो जाने से होगा।

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ

उत्तराखण्ड, देहरादून